

न्यायालय भू- प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
अलवर [राज०]

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही

24/11

अभिभाषक अपीलानु/ देसपो उपस्थित।
अतः पत्रावली नम्बर 24/11
दिनांक 25-5-16 को पत्र भेजा

25/16

अभिभाषक अपीलानु 30/11/16 को पत्रावली दे
लगात ताल वान मल्ल पत्र भेजा पत्र नम्बर
पत्रावली नम्बर पत्रावली दिनांक 24-8-16 को
भेजा है।

24/16

पत्रावली पत्रावली पत्रावली का अवलोकन करने पर
भाषा में प्रस्तुत अपील नस्त - गणालय द्वारा धारा
212 R.T खट्ट के प्रार्थना पत्र से पारित अन्तरिम
अस्थाई निषेधाज्ञा के विरुद्ध हैं। विन्यास - गणालय द्वारा
पारित अन्तरिम निषेधाज्ञा के विरुद्ध अपील
पौषणीय है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में हमने गण
- गणिव दृष्टांत 2015 RRD 146 का अध्ययन किया।
इसमें मानसिक राजस्व मण्डल ने अभिविचारित किया
है कि परीक्षण - गणालय आगामी तिथि तक पारित
खट्टपत्रीय अन्तरिम आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का
संभावित अपीलिय - गणालय को नहीं है। यही सिद्धांत
2015 RRD 170 में भी प्रतिपादित किया गया है।

अतः प्रस्तुत अपील अन्तरिम अस्थाई
निषेधाज्ञा के विरुद्ध है, जो कि उपरोक्त - गणिव दृष्टांतों
के परिप्रेक्ष्य में पौषणीय नहीं है। अतः अपील पौषणीय
नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली पत्रावली
शुभान लेबर, नम्बर से वस की जात बाद तदन्वील जयल
पारिल दफ्तार की जाए।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर